MR. DEPUTY SPEAKER: Please take your seats. The Speaker will come at 2 O'clock. Then you can take it up. It is the same matter which is agitating all sides. I can see that.

SHRI MANORANJAN BHAKTA (Andaman and Nicobar Islands): What about my adjournment motion?

MR. DEPUTY SPEAKER: Your adjournment motion has been disallowed.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: If you persist, it will not go on record. Shri Chandan Singh.

(Interruptions)

12.32 hrs

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE —*Contd.*

REPORTED FAILURE OF FOOD CORPORATION OF INDIA TO PROCEDURE RAGI, PADDY, JAWAR AND COTTON IN VARIOUS PARTS OF THE COUNTRY—*Contd.*

श्री चन्दन सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर कृषि और सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस के ऊपर एक वक्तव्य दें :

> "देश के विभिन्न भागों में विशेष कर कर्नाटक में रागी, धान, ज्वार और कपास की खरीद करने में भारतीय खाद्य निगम की कथित विफलता जिस के परिणामस्वरूप किसान इन उत्पादों को खुले बाजार में मजबूरन बहुत सस्ते दामों पर बेच रहे हैं तथा किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): Towards the end of September last, reports were received in the Ministry that hybrid jowar was selling in certain parts of Karnataka at prices lower than the support price. The matter was taken up with the State Government and they were asked to take appropriate steps for extending price support to the farmers. They were assured that stocks surplus to their requirements would be taken over in the Central Pool. Reports to the same effect were received in respect of pady from Andhra Pradesh in the first week of October and the State Government were asked telegraphically to enquire into the matter and report facts. They reported that the current Kharif paddy had not started arriving on to the market and that arrangements have been made in the coastal districts a well as in the upland centres for opening adequate number of centres.

After the announcement of the Kharif policy for the current season, a number of communications have been sent to the State Governments emphasizing the importance of maximising the procurement and minimising harassment and under-payment to producers. They have been advised to draw up a co-ordinated plan of operations for all the public agencies, including the FCI, so that widest possible coverage is extended in the States. On 24-11-1978, I again wrote to the Food Ministers emphasizing the urgency of organising price support operations for Kharif cereals including coarse-grains and assured them that surplus stocks would be taken over by the FCI.

In Karnataka the procurement is done by the State Government and the FCI have not been assignd any role in these operations. Likewise in Bihar, Orissa, Gujarat and Maharashtra, FCI have no role in procurement because the State Governments and their agencies themselves look after the procurement and price support operations. FCI is operating in M.P., Rajasthan, Andhra Pradesh and West

Bengal as an agent of the State Governments while in U.P., Punjab and Haryana, it is operating in conjuction with the State agencies. In these States, FCI has deployed its staff and opened the required number of purchase centres in consultation with the State Governments, as detailed below:

Punjab	400
Haryana	82
Uttar Pradesh	140
Madhya Pradesh	61
Rajasthan	139
West Bengal	2700
Andhra Pradesh	184
Tamil Nadu	25
Himachal Pradesh	16
North Eastern States	25

According to the latest information available in the Ministry, a total quantity of 1.97 million tonnes of paddy has been purchased in all the States under price support operations as against only 1.01 million tonnes purchased last year in the corresponding period. Out of this quantity, FCI has purchased 1.83 million tonnes. I am sure Hon'ble Members will consider this a commendable effort on the part of the FCI.

As far as cotton is concerned, F.C.I. does not handle its procurement. The House has already been informed by my colleague the Minister of Industry that the Cotton Corporation would be allowed to make commercial purchases in the market so that cotton prices do not drop below the prescribed minimum.

However, it has to be stated that in the implementation of the food policy and price support operations, it is the State Governments who have to take the necessary executive steps in the field and organise price support operations. The Central Government on their part would render all assistance to the State Governments that may be asked for.

Realising the gravity of the matter, a Conference of the State Food Commissioners of selected States was convened on 7th last in which the purchase arrangements made by the States were reviewed. They were advised to strengthen and expand the machinery engaged in procurement operations and they were assured that the Central Government would render all assistance in resolving their difficulties.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यहां पर मिनिस्टर साहब उपस्थित हैं और स्टेट मिनिस्टर जो जवाब देते हैं उसका कबिनेट मिनिस्टर द्वारा बाद में खण्डन कर दिया जाता है। इसलिए राज्य मंत्री जो जवाब देंगे वह कैबिनट मिनिस्टर के लिए बाध्य होगा—ऐसी व्यवस्था आप दें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no point of order, I am sorry, because the Cabinet functions as a whole, and he is the Minister for Agriculture.

SHRI RAM VILAS PASWAN—*rose.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please take your seat now. Otherwise, nothing will go on record.

श्री चन्दन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने काफी आश्वासन दिया था कि जो भी उत्पादन होगा उसको बाब नियम खरीद लेगा। कुछ चीजों की खरीद के लिए आर्डर भी हो जाते है, लेकिन खरीद का तरीका ऐसा है–मैंने कम से कम 20 सैन्टरों पर देखा है—जो भाव तय किये जाते हैं, उस से 10 रुपये कम किसान को मिलते हैं। शाम के वक्त जो उन के एजेन्ट होते हैं, वे उन लोगों के माल को बोरों में भरवा लेते हैं और सरकार से वे पूरा पैसा ले कर, 10 रुपये कम किसान को देते हैं। मैंने बहुत से सैन्टरों पर देखा—गेहूं का भाव 110 रु० क्विटल का था, लेकिन उन को 106 रुपये दिये गये। ये जो बीच में बिचौलिये होते हैं—इन के लिए कई बार मंत्री जी से कह चुका हूं, स्टेट वालों से भी कहा कि आप का कोई चैकिंग स्क्वार्ड होना चाहिए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला।

आप देखिए—पिछले साल क्या हुआ—हमारे गन्ना खत्म करा दिया, तम्बाकू खत्म करा दिया

[श्री चन्दन सिंह]

आलू खत्म हो रहा है। आप स्कीमें बहुत सी बनाते हैं, लेकिन उन पर सही अमल होना चाहिए, आप अपने आफिसर्ज को कह देते हैं, वे दूसरे आफिसर्ज को कह देते हैं, दूसरे आफिसर्ज अपने मातहत को कह देते हैं—गर्ज कि नतीजा कुछ नहीं निकलता। अगर आप काश्तकार को उस की उपज का सही भाव दिलाना चाहते हैं तो सही तरीके से अपनी योजना का अमल करायें, चैकिंग करें कि काम ठीक हो रहा है या नहीं। आज हमारा ज्वार लुट रहा है, मक्का खत्म हो रहा है, कपास के ग्राहक नहीं हैं। अगर कपास हमारे यहां कम पैदा होती है तो सब्सिडी दे कर काश्तकार से ज्यादा उपज कराने की कोशिश करें। होता क्या है—हम बाहर से मंगाते हैं।

इस साल गन्ने की क्या हालत है—एक तरफ़ तो आपने फैक्टरीज को, जहां सिर्फ 28 फीसदी पिरेगा, साढ़े-तेरह के भाव में दिया, लेकिन दूसरी तरफ़ जहां 70 फीसदी गन्ना पिरेगा, वहां 6 रुपये का भाव है और 6 रुपये में भी खाण्डसारी यूनिट्स खड़ी हैं, चल नहीं रही हैं। पिछले साल सारा गन्ना जलाया गया, इस साल भी जलेगा। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं—जब वह कोई चीज बनाते हैं, तो उस की चैकिंग भी सही तरीके से हो, उसकी पूरी तरह से निगरानी होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि मैंने फलां अफसर को कह दिया है और उसने अपने मातहत को कह दिया। इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। आप किसानों को सही भाव दिलवाने के लिए सही तरह से काम कीजिए और अगर आप नहीं कर सकते तो आप इतना कर दीजिए कि किसानों में काम आने वाली चीजें, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेन्ट्स उस को सस्ते दामों पर दिलवाइये, अगर आप इतना भी कर दें तब भी हम को कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, इस प्रश्न का सम्बन्ध गन्ने से नहीं था, बल्कि एफ० सी० आई० के जरिये जो अनाज की खरीद की जाती है, उस के बारे में यह प्रश्न पूछा गया था। श्रीमन्, मैं स्वयं इस बारे में चिन्तित हूं—कहीं-कहीं पर कुछ ऐसे पाकेट्स हैं जहां किसानों को सपोर्ट प्राइस नहीं मिल पाती है। इसीलिए मैंने 7 दिसम्बर को फूड-कमिश्नर्ज की मीटिंग बुलाई थी। उन की कुछ गलतफहमियां थीं, जिन को दूर किया गया, कुछ स्पेसिफिकेशन्ज की कठिनाइयां थीं, उन में भी संशोधन किया गया। मैंने आन्ध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात कर के वहां की कठिनाइयों को हटाने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में भी मैं परसों गया था, वहां के फूड मिनिस्टर से मिल कर जो उन की कठिनाइयां थीं, उन को दूर किया गया। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अब नई स्थिति सामने आ रही है, उस को देखते हुए हम को इस खरीद्दारी के लिए कुछ सहकारी समितियों का गठन करना होगा। कठिनाई यह भी होती है कि माल थोड़ी मात्रा में मिलता है। अगर हम कहीं पर कोई दुकान कायम करें और माल थोड़ी मात्रा में मिले, तो उस पर खर्चा बहुत अधिक हो जाता है। यह जो सारी समस्यायें हैं, वे केवल सरकार के ही सुलझाये नहीं सुलझ सकती हैं। कल मैं गुजरात में भी इस को देखने गया था और वहां मुझे देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि किसानों ने स्वयं अपनी समितियां बना कर, वे खुद ही खरीद्दारी करते हैं, खुद ही प्रोसेसिंग करते हैं, खुद ही मार्केटिंग करते हैं। तो उस प्रकार की कुछ न कुछ व्यवस्था करनी होगी।

प्रो० आर० के० अमीन (सुरेन्द्रनगर) : गुजरात के फार्मर्स ने भी तो कम्प्लेंट्स की हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह : किसी ने मुझ से नहीं कहा। मैंने कल वहां किसानों की मीटिंग की थी। खरीद्दारी के बारे में किसी ने कोई शिकायत नहीं की, दूसरी बातों के बारे में शिकायत हो सकती है।

श्री मनी राम बागड़ी (मथुरा) : क्या पिछली सरकार से इस सरकार की नीति में कोई अन्तर है जिससे किसानों को फायदा हुआ हो? मैं देखता हूं कि किसान की आमदनी घटी है और गैर-किसान की आमदनी बढ़ी है।

श्री भानु प्रताप सिंह : बड़ी अफसोस की बात है कि माननीय सदस्य को कोई अन्तर नहीं दिखाई देता है। पहले किसानों के घरों से जबर्दस्ती गल्ला निकाला जाता था और यह पुलिस एक्शन के द्वारा और कोअर्सिव मेजर्स के द्वारा निकाला जाता था। मैं जानता हूं कि केवल उत्तर प्रदेश में हजारों किसानों का चालान हुआ था। वह एक जबर्दस्ती का सौदा था। आज हम कहते हैं किसी किसान का कोई गल्ला जबर्दस्ती नहीं लेना है। अगर उनके गल्ले का खरीददार नहीं है तो सपोर्ट आप्रेशन के रूप में, उन को सहारा देने के लिए, सहारा मूल्य पर सरकार खरीदेगी। अगर इन दोनों में कोई अन्तर ही दिखाई नहीं देता तो मैं समझता हूं कि यह देखने वाले की गलती है।

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने कपास की कीमत 255 रुपये क्विन्टल रखी है जब कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने 450 रुपये क्विन्टल से ऊपर बतायी है। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है।

SHRI S. NANJESHA GOWDA (Hassan) : Sir, I have gone through the statement of the hon. Minister on this call-attention notice very carefully. I would like to give a clear picture of the position in the Karnataka State, how the farmers there are suffering now. Ragi is sold at Rs. 60 to Rs. 65 per quintal whereas the procurement price is somewhere about Rs. 85. Jowar is sold at Rs. 40 per quintal, and there is no purchaser. That is the position there. Paddy is still to be harvested. I do not know. the rate of paddy also will be at a distress price in the open mar-

ket. The Minister has said in his statement that it is the look-out of the State Government to make all arrangements.

It is very unfortunate that the problems of the farmers are always considered as the last thing; the farmers are considered as the last grade citizens of this country. If there is a small fight between two goondas on the road, we will discuss it here for hours together, but you do not allow, and we do not give importance to the farmers though they constitute about 80 per cent of the people of this country. Every leader, in the House and outside talks showing his concern for the farmers, but what is really done? That is what I want to know. Not only today in all these 30 years, we have tasted the rule of the Governments in this country. Whenever there is shortage of foodgrains you go to the farmers and force them to give the foodgrains at the procurement price and bring them to the consumers. And you go only when there is shortage and not other wise. But do you know how the levy is collected? They grab these grains from the farmers—even that which is there for their consumption—and the money will be paid very leisurely to these farmers. Apart from that, what is the condition of the farmers now? The whole year the farmer works hard in his farm and produce this, and this produce, he has to sell at a terribly distress price in the open market. The Government of India says that the FCI is not operating there. I am speaking about Karnataka.

I do not know whether the Karnataka Government has come forward with any proposal for any assistance or anything like that. As far as can see now, no arrangement is made to procure in Karnataka, whether by the State Government or by the FCI. I would appeal to the Minister. Let him not wait for the Karnataka Government to take such a step. The Karnataka Government has no earnestness. I can say that. Why? The Karnataka Government as also many State Governments transfer this responsibility to co-operative societies many of whom are defunct today. The Karnataka State Marketing Federation a few years back—I think it was 2 or 3 years ago—purchased Ragi at Rs. 150 a quintal from the merchants and sold it again to them at Rs. 120 resulting in a loss of Rs. 40 lakhs to the Cooperative Society. They never went to the farmers. Again you know if you do not do take any such arrangement, the farmers are doomed.

My earnest request to the hon. Minister is to open purchase centres particularly in Karnataka to purchase this Ragi and Jowar immediately. The Minister may say that it is not possible because of lack of infra-structure facilities. We have to do all that. I will tell you that there are people who are prepared to work voluntarily and without remuneration, if you need. If you so desire, I can organise the work for you. You open centres with money to procure the foodgrains and you kindly save the farmer.

SHRI BHANU PRATAP SINGH : In my statement I have said that the Karnataka State is one of the States in which FCI does not operate at all. Therefore, we cannot do anything in that State without the permission of the Karnataka Government. I had called the Food Comissioner of that Government and explained to him that whatever they purchase and is surplus to their needs, we will certainly take it over from them without any loss to them. In spite of this assurance, they do not purchase. The only alternative is to organize the farmers and if the hon. Member organises them and offers us foodgrains in large enough quantity, then certainly I will see whether it can be taken over by the FCI directly from the farmers' organizations. That is the only way left open to me because the State Government is not interested in making this procurement. Let the farmers' leaders themselves go and try and organise

[Shri Bhanu Pratap Singh]

the farmers in such a way that they can collect a large enough amount of these foodgrains which they want us to purchase and then tell us. We will lift those foodgrains from them.

SHRI S. NANJESHA GOWDA: You have to send your man with money. Who will pay money for that? You assure the money first, then we will give volunteers.

श्री चंद्रशेखर सिंह (वाराणसी) : मंत्री जी के ध्यान को मैंने देखा है। इस को पढ़ने से और मंत्री जी की कृषि की जानकारी को ध्यान में रखते हुए मैं इतना ही कह सकता हूं कि मंत्री जी के मन की भूख तो किसान के साथ है लेकिन तन की भूख कहां है यह मेरी समझ में नहीं आया है। मंत्री जी ने अपने उत्तर में दो बातें कही हैं। पहली बात तो यह कही कि इस सरकार में और पिछली सरकार में फर्क है क्योंकि पिछले जमाने में लेवी वसूल की जाती थी और वह जबर्दस्ती हुआ करती थी। लेकिन हम समर्थन मूल्य दे रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि समर्थन मूल्य का क्या मतलब होता है? समर्थन मूल्य का केवल एक ही मतलब है कि उस मूल्य पर किसान जब चाहे, जहां चाहे और जितनी चाहे अपनी चीज को बेच कर समर्थन मूल्य प्राप्त कर सकता है। अगर यह बात सही है तो क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि आज पूरे बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में और समस्त उत्तर प्रदेश में भी धान क्या यह सही नहीं है कि 85 रुपये उसका समर्थन मूल्य होने के बावजूद भी 60, 62 और 64 रुपये क्विंटल बिक रहा है?

यह देश नदियों और पहाड़ों से घिरा हुआ है और इस देश का कृषि जीवन इस देश की रीढ़ रहा है। लेकिन पिछले जमाने में भी इस देश का कृषि जीवन उपेक्षित रहा और आज भी उसकी दर्दनाक हालत है। मौजूदा सरकार से कुछ आशा थी, लेकिन आज भी वह वीरान और उदास पड़ा हुआ है। समर्थन मूल्य पर अगर किसान बेचना चाहता है जहां इनके केन्द्र हैं तो वहां इस तरह की व्यवस्था करते हैं कि किसान अपना अनाज वहां न बेच कर बनिये को सस्ते में बेच दे और उसी अनाज को बनिया फिर सरकारी एजेंसियों को बेच सके। इस तरह से दोनों में किसान की लूट का सिलसिला चल रहा है।

जनता पार्टी की आर्थिक नीति है कि जनता पार्टी राजनीतिक और आर्थिक विकेन्द्रीकरण पर आधारित गांधीवादी समाजवाद का मार्ग अपनाने में आस्था रखती है। आगे कहते हैं कि जनता पार्टी ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध है जिसमें व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूहों को दूसरे का शोषण करने की स्वतंत्रता हो। मैं पूछना चाहता हूं कि आज किसानों की जो तीन तरह से लूट हो रही है—एक तो सरकार की नीति के चलते लूट, दूसरे नौकरशाही द्वारा लूट और तीसरे पूंजीशाही के चलते लूट—तो यह जो तीन प्रक्रियाएं चल रही हैं उसमें सरकार की नीति भी कम जिम्मेदार नहीं है। मैं मानता हूं कि सरकार की नीति पिछली सरकार से थोड़ी अच्छी हो सकती है। उसका कारण भी जनता का दबाव है। फिर जरा सा आगे देखिये घोषणा-पत्र में आर्थिक नीति के बारे में कहा गया है कि "किसान की पैदावार का मूल्य समता के सिद्धांत के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए अर्थात् किसान को प्राप्त कीमत और किसान द्वारा भुगतान की गई कीमत में संतुलन बना रहना चाहिए। किसान की पैदावार का आलम्बन मूल्य, जो साम्य मूल्य से कम होगा, समुचित स्तर पर निश्चित किया जाना चाहिये और सरकार की खरीद की व्यवस्था द्वारा यह कोशिश होनी चाहिए कि उसकी पैदावार का भाव इस स्तर से नीचे न गिरने पाये।" मैं जानना चाहता हूं कि इस आधार का परिपालन हुआ है? क्या परिटी मूल्य हुआ? क्या समता मूल्य हुआ?

मंत्री जी कहते हैं कि बहुत से सवाल इसमें नहीं पूछे गये हैं। लेकिन कीमत का सवाल सारा का सारा इसी में निहित है। कहा गया है कि किसानों को खुले बाजार में इन उत्पादनों को लाचारी में कम मूल्य पर बेचना पड़ा। इसलिए किसानों को लाभकारी मूल्य निश्चत करना। यह नहीं कहा गया है कि समर्थन मूल्य दीजिए। समर्थन मूल्य तो दीजिए, लेकिन लाभकारी मूल्य भी सुनिश्चित कीजिए। आप देखें कि किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। खुले बाजार में उसकी लूट चल रही है। जो सरकार की एजेन्सी एफ० सी० आई० है या जहां कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं जहां अनाज आप खरीदते हैं वहां गल्ला नहीं लिया जाता है, और वही गल्ला किसान से जब बनिया खरीद लेता है, उसी गल्ले को बनिये से यह ऐजेन्सियां खरीदती हैं। यह तिहरी प्रक्रिया चल रही है।

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब किसी चीज का समर्थन मूल्य रखा जाता है तो क्या इस बात का ध्यान रहता है कि इस देश में पानी के भी कई दाम हैं, हर प्रदेश में अलग-अलग पानी के दाम हैं, और पानी का जो सिस्टम है उसके भी अलग दाम हैं। जो बंध से नहरें आती हैं उनके पानी का कुछ दाम है, नलकूप के पानी का कुछ दाम है, डाल सिंचाई योजना का कुछ और दाम है और सरकारी नलकूपों से जो पानी दिया जाता है उस का दाम अलग है। इन चारों प्रकार के पानी से सिंचित कृषि उत्पादन की जो चीजें पैदा होती हैं उन सब का दाम एक ही रखा जाता है। ऐसा क्यों है? अगर साधारण आदमी से पूछा जाये तो वह कहेगा कि यह दिमाग का दिवालियापन है। कहीं न कहीं तो दिमाग का दिवालियापन है। तो क्या मंत्री महोदय इस बात को कहेंगे कि चूंकि पानी का कई दाम है और उससे उत्पादित चीजों का एक दाम मिलता है तो क्या वह पानी का एक दाम करने की कृपा करेंगे?

13.00 hrs.

दूसरे मेरा कहना यह है कि कृषि-जन्य चीजों का यथोचित दाम मिले, पैरिटी प्राइस हो, समता मूल्य हो। अगर पैरिटी प्राइस नहीं है, तो उसके मायने क्या हो गया है? 1971 में जो ट्रैक्टर 20 हजार रुपये का था आज 1978 में उसका दाम 68 हजार रुपये हो

गया। खेती से जो चीजें पैदा होती हैं, उसका दाम, मैं चावल का बताना चाहता हूं कि 1973-74 में चावल का दाम मायनस 3 प्रतिशत है और इस साल ट्रेक्टर का दाम 74-75 के मुकाबले में दुगना है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह ट्रेक्टर और बिजली से एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की कृपा करेंगे? जहां इस तरह के केन्द्र नहीं खुले हैं जहां 60·65 रुपये क्विन्टल पैडी को बेचना पड़ता है, क्या वहां पर केन्द्र खुलवायेंगे?

यह भी जानना चाहता हूं कि चूंकि किसान को कम मूल्य पर अपना माल बेचना पड़ता है तो क्या बैंकों से वह कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किसान के घर जो उत्पादन होता है, उसके समर्थन मूल्य का 60 परसेंट बैंकों से किसान को एडवांस दिया जा सकेगा? क्या वह ऐसी व्यवस्था करेंगे या नहीं? अगर नहीं, तो उसके पीछे कारण क्या हैं?

कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि कृषि का मामला राजनीतिक है। इस देश में जितनी समस्याएं हैं, सभी राजनीतिक हैं और इसलिये किसान को उचित दाम आज नहीं मिल रहा है, आज ही नहीं पिछली सरकार के समय में भी नहीं मिल रहा था। किसान को आज पूंजीशाह, नौकरशाह और सरकार तीनों मिलकर लूट रहे हैं, उसके पेट की भूख मिटे, क्या इसकी तरफ सरकार ध्यान देगी?

श्री भानु प्रताप सिंह : माननीय सदस्य ने एक लम्बा भाषण देकर कई बुनियादी प्रश्न उठाये हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिये उतना ही समय चाहिए, परन्तु मैं सारांश में ही कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

पहला प्रश्न तो मूल्य के औचित्य सम्बन्ध में है। उचित मूल्य क्या है और क्या नहीं है, यह व्यक्तियों की राय पर निर्भर करता है। जिस को एक उचित मानेगा, दूसरा अनुचित मान सकता है, जो एक राज्य में उचित होगा, वह दूसरे राज्य में अनुचित हो सकता है। अगर प्रश्न यह पूछा जाता है कि क्या यह मूल्य समता सिद्धांत को देखते हुए निश्चित किये गये हैं तो मुझे कहना पड़ेगा कि ऐसा नहीं किया गया है। अभी मूल्य निर्धारण के वही तरीके चल रहे हैं, वही प्रक्रिया चल रही है, जो पहले थी। (व्यवधान)

श्री अमीराम बागड़ी : अगर किसान की कमाई लुटती रहे, तो फिर क्या फायदा हुआ? (व्यवधान)

श्री भानु प्रताप सिंह : जहां तक इसका प्रश्न है कि जो कुछ समर्थन मूल्य निश्चित हुआ है, उस पर खरीदारी होनी चाहिए, मैंने जैसे पहले निवेदन किया कि वह राज्य सरकार से मिलकर कुछ सुविधायें बढ़ाने, कुछ स्पेसिफिकेशन्स ठीक करने और परचेज़िंग सेंटर की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है और उसका नतीजा आपको दो या तीन दिन में आयेगा। परन्तु मैं कहना चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर सिंह : अब से 15 दिन पहले मेरा इसी तरह का कालिंग अटेंशन था जिस पर मंत्री जी ने कहा था कि 3, 4 दिन में आयेगा और आज 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। (व्यवधान)

श्री मनी राम बागड़ी : क्या 23 दिसम्बर से पहले आ जायेगा?

श्री भानु प्रताप सिंह : देखिये मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान पद्धति से मैं स्वयं सन्तुष्ट नहीं और उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि परिवर्तन एक दिन, . क सप्ताह या एक वर्ष में भी लाना कठिन है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : नीति का तो एक दिन में हो सकता है। कार्य में समय लग सकता है।

श्री राम नारायण (राय बरेली) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने माननीय प्रधान मंत्री जी को अपनी असमर्थता की जानकारी दी। (व्यवधान)

श्री भानु प्रताप सिंह : मेरे जो विचार हैं, न तो वे आपसे किसी प्रकार से छिपे हुए हैं और न माननीय प्रधान मंत्री जी से ही छिपे हुए हैं। इसे उन्हें पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे मालूम हैं सभी को। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आज तक जो व्यवस्था अपनाई गई थी, उसका लक्ष्य यह था कि गांवों से गल्ला निकाल कर शहर वालों को खिलाने के लिए बड़े-बड़े शहरों में एकत्र किया जाये। वह कन्ज्यूमर ओरियंटिड एरेंजमेंट था। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है, पैदावार अधिक, सरप्लस, होने के कारण। आज हम को प्रोड्यूसर-ओरियंटिड एरेंजमेंट करना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : उसके लिए क्या किया है?

श्री भानु प्रताप सिंह : क्या कोई चीज ओवरनाइट हो सकती है? मैं उसकी आवश्यकता को स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर पचास हजार गांवों में गोदाम बनाने हैं, तो वे एक दम कैसे बन सकते हैं? (व्यवधान) अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं, तो....

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय अपना उत्तर तो पूरा करें।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप शांति से सुनें, तो वह बतायेंगे।

श्री भानु प्रताप सिंह : माननीय सदस्य अपने प्रश्न फिर से पूछें।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मैंने पूछा था कि क्या सरकार समता मूल्य देने के लिये तैयार है। मेरा दूसरा सवाल यह था कि जब ट्रेक्टर वगैरह के दाम दुगने बढ़ गये हैं और चावल का दाम—3 परसेंट है, तो क्या सरकार ट्रेक्टर और बिजली पर से एक्साइज ड्यूटी को खत्म करेगी। मेरा तीसरा सवाल यह था कि जब सरकार किसानों को समर्थन मूल्य नहीं दे रही है, तो क्या वह किसानों को बैंकों से समर्थन मूल्य का 60 प्रतिशत

[श्री चन्द्रशेखर सिंह]

कर्जा उनकी उत्पादन चीजों पर दिलाने की व्यवस्था करेगी। मैं ने यह भी पूछा था कि क्या सरकार पानी के दाम एक करने की व्यवस्था करेगी।

श्री भानु प्रताप सिंह : जहां तक क्षमता मूल्य का प्रश्न है, भारत सरकार ने अभी उसको लागू करने का निर्णय नहीं किया है। माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न क्या था ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : चूंकि चावल का दाम 1974 की अपेक्षा —3 परसेंट हो गया है, जबकि ट्रैक्टर आदि के दाम दुगने हो गए हैं, तो क्या सरकार ट्रैक्टर और बिजली आदि पर से एक्साइज ड्यूटी को खत्म करेगी ?

श्री बी० पी० मण्डल : (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आप इस प्रकार बार-बार क्वैस्चन पूछने के लिए कितना समय देंगे ?

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Mandal, he is yielding, and he is asking him to put the questions. It is all right. Let him put the question. The more the information the better it is.

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, मैं ने बताया है कि अभी क्षमता सिद्धान्त के अनुसार मूल्य निश्चित नहीं होते हैं। जहां तक ट्रैक्टर और बिजली आदि के मूल्य बढ़ने की बात है, वह इर्रेलिवेंट है, कम से से कम इस समय। एक्साइज के बारे में भी सोचना पड़ता है, क्योंकि माननीय सदस्य जानते हैं कि टैक्सिज भी वसूल करने पड़ते हैं, और खर्चा बढ़ता चला जा रहा है, विकास का खर्चा बढ़ रहा है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि सारे टैक्सिज छोड़ दिए जायें। परन्तु उस पर भी विचार हमेशा होता रहता है और वह दूसरे मंत्रालय से सम्बन्धित है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मैं मंत्री जी की जानकारी के लिए कह दूं कि मैं जनवरी के प्रथम सप्ताह में ट्रैक्टर और बिजली पर से एक्साइज ड्यूटी कम करने के लिए सम्मेलन बुलाने जा रहा हूं.....(व्यवधान)....

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्टर चन्द्रशेखर सिंह, यह जानकारी देने का वक्त नहीं है।

श्री भानु प्रताप सिंह : मुझे कोई जानकारी नहीं है कि सप्लीमेंट्रीज में उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो कह रहे हैं कि विभिन्न राज्यों में दरें भिन्न हैं तो वह तो भिन्न भिन्न रहेंगी। अपने देश में परिस्थितियां इतने प्रकार की हैं कि एक जैसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती।

अब जो पानी की दर ज्यादा है तो किसानों को स्वयं निर्णय करना पड़ेगा कि उस पानी का एकोनामिक यूज वह कैसे कर सकते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि हर राज्य में किसान वही फसल हमेशा बोते रहें। जब देश को एक मार्केट बना दिया गया तो जहां परिस्थितियां जिस फसल के लिए अच्छी हों वही फसल वहां बोयी जानी चाहिए। यह पूछा गया कि क्या गल्ले के स्टाक के मुकाबिले में बैंक ऐडवांसेज करेंगे ? वह तो अभी भी कर रहे हैं लेकिन जहां गोदाम हैं, जहां वेयरहाउसेज हैं वहां कर रहे हैं। वही मैं कह रहा था कि आज जरूरत इस बात की है कि गांवों में वेयरहाउसेज खुलें और वह जब खुलेंगे तभी आप जो चाहते हैं वह संभव है। लेकिन वह काम एक दिन में नहीं हो सकता। हां, उस का फैसला होना चाहिए और उस दिशा में तेजी से काम होना चाहिए। . . . (व्यवधान) . .

श्रीमती चन्द्रावती (भिवानी) : यह जो हमारे सामने काल अटेंशन है इस के बारे में मैं तो इतनी ही बात कहना चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी ने खुद माना है कि हमारी व्यवस्था की इस में गलती है। मैं आप को एक प्रैक्टिकल बात बताती हूं। गुड़गांव में मटर आठ आने से ले कर 30 पैसे किलो तक बिक रही है और यहां दिल्ली में हम को चार रुपये पांच रुपये किलो मटर मिलती है। जो आदमी प्रोड्यूस करता है उस ने मुझको बताया कि एक क्विंटल या उस से फालतू था जो वह लाया था और उस का उस को चार पांच रुपये मिला जब कि यहां एक किलो चार पांच रुपये में मिल रहा है। तो चीज यह है कि इस व्यवस्था को बदलने के लिए दो साल तो हम को मिल गए, हम कितना इस के लिए समय लेंगे, यह हम जानना चाहते हैं। हमें आप की मंशा पर कोई शक नहीं है लेकिन आप की इम्प्लीमेंटिंग एथारिटी जो आप सर्कुलर भेजते हैं उन के ऊपर अमल करती है या नहीं करती है ?

मैं कल फर्रुखाबाद थी। वहां के आलू पैदा करने वाले किसानों की समस्या बताती हूं। पहले आलू (सी) कैटेगरी में था। रेलवे वालों ने (बी) में कर दिया। अब आलू वहां सड़ेगा। वह उस को भेज नहीं रहे हैं जो भेजने वाले हैं उन को वैगन नहीं मिल रहे हैं। तो हमारी जो प्रैक्टिकल डिफीकल्टीज हैं उन को देखें। मैं यह नहीं कह रही हूं कि कन्ज्यूमर्स को कोई चीज सस्ती मिल रही है। कंज्यूमर्स को चीज सस्ती नहीं मिल रही है। होता क्या है कि एक तो हमारा ठीक से परचेज नहीं होता है फिर मिडिलमैन उस में बहुत ज्यादा प्राफिट करता है। उस चीज के लिए आप को देखना पड़ेगा और उस के लिए कुछ करना पड़ेगा।

हमारे सामने कर्नाटक के भाई हैं। यह उन की बात है, रागी वहीं होती है, यहां नहीं होती है। वह कहते हैं कि जो हम प्राइस फिक्स करते हैं उस में भी बीच में लोग खा जाते हैं और वह इसलिए खा जाते हैं कि हमारा सारा सिस्टम करप्ट बना हुआ है। करप्ट लोगों को कोई सजा नहीं मिलती। इसलिए कन्ज्यूमर को भी मंहगा मिलता है और प्राडूयूसर को उस की ठीक कीमत मिलती नहीं है। बीच में जो खर्चा है उस का कोई माप नहीं है। उस के खर्चे पर भी आप को पाबन्दी लगानी पड़ेगी। वह खर्चा ज्यादा करता है। जब तक उस के खर्चे पर पाबन्दी नहीं लगायी जायगी तब तक किसी भी चीज की सुविधा नहीं होगी।

यह ठीक है कि इस में कुछ चीजें लिखी हैं क्यों कि बड़ी मुश्किल से यह काल अटेंशन आया है नहीं तो हम लोगों का काल अटेंशन आता ही नहीं है। एक बार हम ने 40 लोगों से दस्तखत कर के दिया लेकिन वह नहीं आया। यही हाल जवार का है, यही हाल कपास का है और जो तम्बाकू पैदा करते हैं गुन्टूर में, उन की समस्या की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। पिछले साल एक तो तूफान आया और दूसरे दो महीने तक उन के तम्बाकू को खरीदने के लिए लोग नहीं आए, जानकर के नहीं आए क्यों कि वहां 20 कम्पनियां खरीदती हैं। वहां बड़ा भारी वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया है। टुबैको बोर्ड में भी बड़ा भारी इंटरेस्ट हो गया है। वहां वह क्या करते हैं कि वर्जीनिया तम्बाकू जो बोते हैं दो महीने तक उस को लेने नहीं आए तो वह खराब हो जाती है। इस तरह छोटे किसान जो थे वह तबाह हो गए। बड़े किसान तो फिर भी कुछ दिनों तक इकट्ठा रख सकते हैं लेकिन जो छोटे किसान हैं वे तो उसी वक्त बेचते हैं क्योंकि उनको बच्चों के कपड़े बनवाने होते हैं और शादी ब्याह करने होते हैं।

फिर जहां तक कर्जे की बात है, एक बैंक एम्प्लाई को आप पांच हजार तक तनख्वाह देते हैं और उसको क्रेडिट भी दो या चार परसेंट पर मिल जाता है जब कि किसानों को 14 और 18 प्रतिशत पर कर्जा दिया जाता है। बैंकों में एक चपरासी को भी 8 सौ, 9 सौ तनख्वाह दी जाती है। बैंक एम्प्लाईज को कार खरीदने के लिए या कोठी बनाने के लिए एक फीसदी, दो फीसदी या मैक्सिमम चार फीसदी पर कर्जा दिया जाता है लेकिन किसान जोकि कमा कर आपको खिलाता है उसके लिए कुछ नहीं है। यहां पर सेक्रेटेरियट में या सेन्ट्रल हाल में क्या गन्दा पैदा होता है? इसलिए इस व्यवस्था को बदलना होगा। इंप्लीमेंटेशन एथारिटी करप्ट है, हम लोग करप्ट हैं तो इसको छांटना पड़ेगा वरना गुड्स डेलिवर नहीं कर सकते हैं। तीन साल बाकी रह गए हैं, आपको गुड्स डेलिवर करने पड़ेंगे।

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, मुझे स्वयं सहानुभूति है, किसानों को उनकी उपजाई हुई वस्तुओं का उचित मूल्य मिलना चाहिए। और इसके लिए कुछ व्यवस्थायें भी बदलनी पड़ेंगी। लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जबतक स्वयं किसान और किसान के हितैषी मिलकर इसमें मदद नहीं करेंगे, ऐसा संगठन नहीं बनायेंगे कि वे अपना काम अधिक स्वयं कर सकें तबतक राज्य की मशीनरी उनको पूरी सहायता नहीं पहुंचा सकती है। (व्यवधान) आप मेरी पूरी बात सुन लें। मैं सिर्फ यह कह रहा था कि संसार का कोई देश ऐसा नहीं है जहां किसानों को उचित मूल्य मिलता हो बिना अपने प्रयत्न के और बिना अपने संगठन के। उसके लिए दूसरे देशों में जाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी कल गुजात में था, वहां के किसान गोभी तैयार करते हैं और उसको ले जा कर बम्बई में बेचते हैं। उन्होंने न तो राज्य सरकार से कोई सहायता ली है और न केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता ली है। प्रति दिन उनके ट्रक लदते हैं—ट्रक भी उनके अपने हैं—वे ट्रक रातों रात बम्बई पहुंचते हैं, उनका ही एक आदमी साथ जाता है जोकि बेचकर आता है और पैसा किसानों में बंट जाता है। तो इसी तरह के प्रयत्न किसानों को स्वयं करने पड़ेंगे। मैं मानता हूं कि कुछ सरकारी सहायता और व्यवस्था में भी परिवर्तन होना चाहिए। (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं जाकर वहां देखें कि वे क्या कुछ कर रहे हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : (सोनीपत) : डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो काल अटेंशन है, इसके मकसद के बारे में जिस मायूसी और लाचारी से हमारे मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है मैं कहूंगा उनके ऊपर तरस करने की बात है। वे हमको उल्टा सिखाते हैं जबकि हमारी सारी उम्र किसानों का सवाल उठाते हुए गुजरी है। मिनिस्टर साहब हमारे स्टेज पर बोला करते थे किसानों की पैदावार के मूल्यों के बारे में लेकिन अब कैबिनट में आने के बाद उनका क्या नजरिया हो गया है। पहले कांग्रेस की हुकूमत थी और अब जनता पार्टी की हुकूमत है। मुझे तो इस चीज को देखकर एक शेर याद आता है :

दुनियां में किसी अनवान से भी इन्सां को पनाहें मिल
न सकीं,
दामाने-हरम भी देख लिया, आगोशे-सनम भी देख
लिया।

हम ने तो, डिप्टी स्पीकर साहब, कांग्रेस की हुकूमत भी देख ली और जनता पार्टी की हुकूमत भी देख ली, लेकिन किसान के लिये कहीं कोई जगह हिन्दुस्तान में नहीं पाई। मेरी समझ में यह बात नहीं आती—जब भी किसान की चीजों का सवाल उठता है तो कहा जाता है कि गल्ले की कीमतें

[श्री मुख्तियार सिंह मलिक]

बढ़ेंगी तो रेलेटिवली दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ती चली जायेंगी। आज कारखानों में जो माल पैदा होता है, उन की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, कभी नीचे नहीं गिरतीं, लेकिन किसान की चीजों की कीमतें घटती चली आ रही हैं—मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें "रेलेटिवली" की क्या बात है।

आज इन्डस्ट्रीज को सरकार की तरफ से हर तरह की प्रोटेक्शन मिल रही है। उन को दी जाने वाली पावर के चार्जेज बहुत मीगर हैं, जब कि किसान जो ट्यूब-वेल लगाता है और उस में जो पावर सर्फ होती है उस की कीमत बहुत कम है उस के मुनाफे में इंशोरेंस को जोड़ा जाता है, उस को एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाती है, लेकिन इन सब के मुकाबले किसान को क्या दिया जाता है? किसान के ऊपर इतने जबरदस्त कर्ब्स लगाये हुए हैं कि किसान को

He has been thrown at the mercy of the politicians and the thieves in this country.

किसान की हर चीज को निर्धारित करने के लिये पोलिटिक्स प्ले की जाती है। यह ए० पी० सी० क्या है? इस सफेद हाथी को हमारे ऊपर क्यों बैठाया हुआ है, वह किस आधार पर इन के लिये कीमतों को निर्धारित करता है? इण्डस्ट्रीयल गुडस में हर तरह के खर्च लगा कर, उन के मुनाफे को मुकर्रिर किया जाता है। एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी जो गेहूं पैदा करती है, उस की लागत 115 से 125 रुपये आती है, इस के ऊपर कोई मुनाफा लगेगा या नहीं? लेकिन किसान को क्या दिया जा रहा है—हर तरह से उस को खत्म किया जा रहा है। हम से कहा जाता है कि जब तक किसान मुनज्जिम नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। इस शेर को क्यों जगाना चाहते हैं, यह अब दबने वाला नहीं है। इतना मत दबाओ कि वह काबू से बाहर हो जाय। कांग्रेस की हुकूमत में और अब आप की हुकूमत। किसान को बदनाम किया गया। आज हमारा जितना भी सोशल-स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जितना पोलिटीकल स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक ही प्रिन्सिपल पर बना है—

Exploitation of the rural poor.

इस के ऊपर ही सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है।

समय नहीं है, इस लिये मैं इस की गहराई में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं पुरजोर अर्ज करना चाहता हूं—आप इन सारी चीजों पर ध्यान दें। आप ने जो लम्बा स्टेटमेंट दिया है, वह तो हम पहले भी सुनते थे। कांग्रेस की हुकूमत भी पहले लम्बेलम्बे स्टेटमेन्ट दिया करती थी और आप भी वहां पर खड़े हो कर स्टेटमेन्ट देते हैं—स्टेटमेन्ट्स देने से काम नहीं चलेगा, किसान को राहत देने की कोशिश करें। क्या आप यही राहत देना चाहते हैं कि यहां पर अपनी मजबूरी और लाचारी को जाहिर करें—हम इस से बिल्कुल भी सैटिसफाइड नहीं हैं। आप जब समझते हैं कि किसान के लिये कुछ नहीं हो रहा है, तो वहां पर क्यों बैठे हुए हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी थी कि हमारे मंत्री किसानों के नुमाइंदे बन कर आये हैं, हम उम्मीद करते थे हमारे बरनाला साहब और भानुप्रताप सिंह जी किसानों को जरूर राहत देंगे, लेकिन हम जो उम्मीद करते थे, वह खाक में मिल गई। मैं आप से पुरजोर अपील करना चाहता हूं कि जो इंडस्ट्रिलिस्ट्स गुड्स हैं और जो किसान का प्रोड्यूस है, इन दोनों की कीमतों के अन्दर कोई पेरिटी होनी चाहिए। इस पेरिटी के लिए आज तक इस हकुमत ने क्या स्टेप्स उठाये हैं? क्या इस के बारे में आपने बैठ कर ठंडे दिल से सोचा है कि ट्रेक्टर की कीमत बढ़ती जा रही है। जो पहले 29 हजार में आता था अब वह 78 हजार में आता है। इसी तरह से एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की कीमतें भी बढ़ रही हैं। ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स गरीब किसान के दुश्मन हैं, उसको मारना चाहते हैं। आप जो किसान को दवा देते हैं उसकी कीमत बढ़ गई है। यह एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जिसको कि हिन्दुस्तान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, गवर्नमेंट की इकोनोमी के लिए रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, आप इस को खत्म कर के क्या भारतवर्ष के अन्दर वही हालात पैदा करना चाहते हैं जो पहले थे? अब आप आत्मनिर्भर हो चुके हैं। मैं आप से यही अर्ज करना चाहता हूं कि आप ठन्डे दिल से किसानों को उनकी प्रोड्यूस की रेम्युनरेटिव प्राइस दिलाने की कोशिश करें। आप हमारे से सवाल करते हैं कि वह रेम्युनरेटिव प्राइस कैसे हो? मैंने आपको बता दिया है। आपके खुद के, गवर्नमेंट के एग्रीकल्चरल फार्म्स हैं। क्या वे मुनाफे के ऊपर चलते है? घाटे के ऊपर चलते हैं। आपने वहां पर बहुत-सी चीजें लगायी हुई हैं। आप वहां पर तंख्वाह देते हैं। यह सब कर के आपका कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या आता है? आप किसानों को उनकी मजदूरी नहीं देना चाहते है। भानु प्रताप सिंह जी सारी चीजें पैदा करने में किसान का खून लाल होता है। आप उन्हें सारी चीजें देख कर पूरी कीमत दिलाने की कोशिश करें। आपको किसान को ऐसी प्राइस दिलानी चाहिए जिससे वह सेटिस्फाईड हो। आप सोसायटी बनाने की बात कहते है, वे तो बनने जा रही है। आज देश के अन्दर एक हवा उठ चुकी है, किसान जागता जा रहा है। लेकिन आपकी हकुमत की तरफ से इतनी नपुंसकता नहीं बरती जानी चाहिए। इसलिए मैं यही अर्ज करूंगा कि आप किसान को पूरी कीमत दिला कर उसको राहत पहुंचायें।

श्री मोहन लाल पिपिल (खुर्जा): **

**Not recorded.

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन् कृषि पदार्थों के मूल्यों के विषय में मेरे जो विचार हैं, वह प्रधान मंत्री को और दूसरे मंत्रियों को और पूरे सदन को भी मालूम हैं।

चौधरी बलबीर सिंह : आप अपना बयान दे रहे हैं या सरकार का ?

श्री भानु प्रताप सिंह : आप सुन तो लें। मैं तो बहुत धीरज से सुनता हूं, आप सुनना गवारा नहीं करते। मेरे विचार अभी भी वही हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि वे बदले नहीं हैं। लेकिन मैं अपने विश्वासों के अनुरूप निर्णय नहीं करा सकता। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये सारे निर्णय कराने में समय लगता है। हमारे प्रधान मंत्री जी स्वयं नशाबन्दी के पक्ष में हैं लेकिन ओवरनाईट वे इसको नहीं करा पाये। प्रधान मंत्री जी जो चाहते हैं, अगर वे नहीं करा सकते तो इस तरह की समस्याएं भी जल्दी से हल नहीं हो सकती हैं। (व्यवधान) आप सुनिये। यह मूल्यों का प्रश्न एक सामाजिक प्रश्न है। इसलिए सामाजिक प्रश्न है कि समाज में किसान का क्या दर्जा है। जब सामाजिक प्रश्न को ले कर हम उस का हल ढूंढने लगते हैं तो उस का कोई जल्दी फल नहीं निकल सकता है।

श्री राज नारायण (राय बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा प्वाएंट आफ आर्डर है। कृषि मंत्री जी कहते हैं कि किसान का समाज में क्या दर्जा है ? मैं आप से कहता हूं कि यह तो बड़ा व्यापक प्रश्न है। क्या इसी इरादे से प्राइस कंट्रोल नहीं हो पा रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस में व्यवस्था का क्या प्रश्न है ? यह तो आपकी राय है।

श्री राज नारायण : यह मैं इसलिए कहता हूं कि अगर मंत्री जी किसान का स्तर क्या है, दर्जा क्या है, इस पर बहस करना चाहते हैं तो इन के बोलने के बाद मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आप की राय हो सकती है और मंत्री महोदय की दूसरी राय हो सकती है। आप अपनी राय बता रहे हैं।

श्रीमती चन्द्रावती : हम उनकी निजी राय नहीं चाहते हैं। हम गवर्नमेंट की तरफ से कमिटमेंट करवाना चाहते हैं। आप हम को क्या रियायत देंगे इसको आप फ्लोर आफ दी हाउस पर हमें बतायें। कालिंग एटैंशन इसी वास्ते दिया गया था कि आप कमिट करें।

श्री भानु प्रताप सिंह : सरकार की तरफ से मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। जब बार बार मुझ से अपनी राय देने के लिए कहा गया तब मैंने अपने विचार रखे। वर्ना मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार की तरफ से जो निश्चय किया गया है वह मैं बता चुका हूं और—वह यह है कि हम अधिक से अधिक इस मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था करेंगे।

13.31 hrs.

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

NINTH REPORT

SHRI D. AMAT (Sundargarh): I beg to present the Ninth Report of the Committee on Absence of Members from the sittings of the House.

13.31 1/2 hrs.

STATEMENTS OF PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

SHRI ASOKE KRISHNA DUTT (Dum Dum) : I beg to lay on the Table (English and Hindi versions) of the following statements:

(1) Statement showing final replies of Government to the recommendations contained in Chapter V and the action taken replies on the recommendations made in Chapter I of the 25th Report of the Public Accounts Committee regarding action taken by Government on the recommendations contained in their 220th Report (5th Lok Sabha) on 'Delays in Furnishing Action Taken Notes'.

(2 Statement showing final replies of Government to the recommendations contained in Chapter V and the action taken replies on the recommendations made in Chapter I on the 34th Report of the Public Accounts Commmittee regarding action taken by Government on the recommendations contained in their 183rd Report (5th Lok Sabha) on New Service/New Instrument of Service.